न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/53/2024 रजू दिनांकः 02.04.2024 रजि0 न0 2024/90

अपीलार्थीः–

श्री मानसिंह सैनी पुत्र श्री गंगाधर सैनी, खेरली वार्ड नं0–9, रेल्वे समूँची फाटक के पास, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 30.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 09.04.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/533 दिनांक 09.04.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त अधिनियम 2005 अंतर्गत कार्यालय के पत्रांक 2136 दिनांक 22.11.23 के माध्यम से प्रेषित सूचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी कठूमर को प्रस्तुत सूचना आवदेन दिनांक 10.02.2024 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही संबंधी सूचना नहीं मिलने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जो राज्य लोक सूचना अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी कठूमर के प्रथम अपील अधिकारी–न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम/द्वितीय, अलवर के श्रवणाधिकार में है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में चाही गई सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी कठूमर के विरूद्व पेश की गई है। जिनके प्रथम अपील अधिकारी–अति0 जिला कलक्टर प्रथम है। अतः उक्त अपील के प्रथम अपीलाधिकारी अति0 जिला कलक्टर प्रथम होने के कारण मूल पत्रावली मय निर्णय प्रमाणित प्रति आगामी सुनवाई हेतु अति0 जिला कलक्टर प्रथम को भिजवाई जावें।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)